भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

स्थानांतरण नीति

वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी के मामले में, भर्ती और नियुक्ति किसी केंद्र/यूनिट की विशेष आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। अतः कोई सामान्य/आवधिक स्थानांतरण नहीं होता। हालाँकि, कार्यक्रमपरक आवश्यकता के कारण विभाग द्वारा उन्हें केंद्र/यूनिट में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारीगण के वैयक्तिक अनुरोध पर अपेक्षित स्थान में रिक्ति और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाता है।

प्रशासनिक श्रेणी के मामले में, अधिकारी स्तर पर पदोन्नत होने पर, उन्हें उस केंद्र/यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ रिक्ति होती है। निचले स्तरों के स्थानांतरण हेतु वैयक्तिक अनुरोध मामला-दर-मामला के आधार पर विचार किया जाता है जो रिक्ति की उपलब्धता के अधीन है। वे कार्यालय ज्ञापन जिनके द्वारा अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए गए, निम्नानुसार हैं:

(i) का.ज्ञा. सं.HQ:ADMN:A.20(4)-1 दिनांक 26/12/2012
(ii) का.ज्ञा. सं.HQ.ADMN:A.20(4)-1 दिनांक 30/12/2013
(iii) का.ज्ञा. सं.HQ.ADMN:A.20(4)-1 दिनांक 20/10/2015
(iv) का.ज्ञा. सं.HQ:ADMN:A.20(2) दिनांक 17/10/2016

स्रोत : इसरो मुख्यालय/का. एवं सा.प्रशा. **14/07/2021**